62

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. ५५२ / जी.एस.
दिनांक: २५ / [illegible] / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक: ५३६–३७ / सम्बद्धता / २००५ दिनांक १३–०७–२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७(२) के "परन्तुक" के अधीन महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय,रमदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी,अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१–०७–२००५ से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

२– महाविद्यालय द्वारा शिक्षकों की नियमानुसार नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

३– महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१५(६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।

४– यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेशों में वर्णित तथा [illegible] द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।

महाविद्यालय प्रारम्भिक समस्त कमियाँ आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
३– अध्यक्ष / प्राचार्य, महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, [illegible]

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

(67)

प्रेषक,

आर0के0मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

विषयः– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति। लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2009

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2174/सम्बद्धता/2009, दिनांक 19.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय रामदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, अंग्रेजी, एवं इतिहास विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैः–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–5350(1)/सत्तर–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ को रिट याचिका संख्या–11196(एम/बी)/2009 में दिनांक 01.12.2009 को पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. प्रबन्धक, महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

सत्यार्थी
महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय
रामदत्तपुर – गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015/ 351

प्रेषक,

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

दिनांकः 30/05/2015

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर

विषय– महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्षो हेतु अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय द्वारा प्राभूत से सम्बन्धित रू0 200000/– का एफ0डी0आर0 प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन दिनांक 30 जून, 2015 तक विश्वविद्यालय से करा लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में याचित विषयों/पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जायेगा तथा प्रदान की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1. महाविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा – **प्रबन्ध समिति का अनुमोदन वांछित है, एफ0डी0आर0 वांछित है तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 की सी0ए0 आडिट रिपोर्ट संलग्न नहीं है**, को विश्वविद्यालय में दिनांक 30 जून, 2015 तक प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. **महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015/............ तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर।

महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर

मंत्री
महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामदत्तपुर, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009

पत्रांकः दीदउ गोविवि/सम्बद्धता/2016/ 775
प्रेषक,

कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

दिनांकः 25/05/2016

प्रबन्धक/प्राचार्य
महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरखपुर

विषय-- महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरखपुर स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरखपुर स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है--

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा-- सी0ए0 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015-16 वांछित है, पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम का वर्ष 2015-16 का परीक्षाफल एवं नकल विहीन प्रमाण पत्र वांछित है महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ताओं का कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर- 2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17. 10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008- 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कमियों को दिनांक 30 जून, 2016 तक पूर्ण करने की शर्त पर दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है, अन्यथा की स्थिति में जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2016/..................तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

मंत्री
महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामदत्तपुर, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2016 / 1475

सेवा में

प्रबन्धक / प्राचार्य

महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रमदत्तपुर, गोरखपुर

दिनांक 20/10/2016

विषय: महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत [illegible] विषय में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2016 / 775 दिनांक 25.05.2016 द्वारा महार[illegible] प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में कति[illegible] शर्तों के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानु[illegible] प्रदान की गयी।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा सी0ए0 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015–16 प्रस्तुत कि[illegible] है तथा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम का परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित सत्र 2015–16 का परीक्षाफल एवं सामूहिक नकल में आरो[illegible] नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार सत्र 2015–16 में परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है।

उपरोक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या–1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत [illegible] दिनांक 30.09.2016 एवं निरीक्षण मण्डल की आख्या के आलोक में महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरख[illegible] को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007 धारा–37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. विश्वविद्यालय के पत्र संख्या दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2016 / 775 दिनांक 25.05.2016 में उल्लिखित शर्तों के अधीन [illegible] सम्बद्धता है।
2. संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्या[illegible] सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश [illegible] 4108 / सत्तर–2–2007–2(494) / 2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 / सत्तर–2–2008– 2(494) / 2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्राविधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
6. संस्था शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
7. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
8. संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी।
9. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम / परिनियम / अध्यादेश / शासनादेशों में दी गई व्यवस्था / नि[illegible] का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
10. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. अधिष्ठाता, कला संकाय / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0वि0वि0,गो0।
4. उप कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें / कुलसचिव कार्यालय।
5. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

प्राचार्य

महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रमदत्तपुर, गोरखपुर

कुलसचिव

प्राचार्या

महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रामदत्तपुर, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

(60)

[illegible]/2017/(56)/1137 [illegible]

[illegible]/प्राचार्य

[illegible] स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर

दिनांक [illegible]

[illegible]स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

[illegible] उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, साक्ष्यों [illegible] अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर [illegible] महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर [illegible] स्नातकोत्तर स्तर पर [illegible] [illegible] सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रामदत्तपुर, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत [illegible] गृहविज्ञान विषयों हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत [illegible] निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

[illegible] सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों [illegible] सत्र 2016–17 [illegible] को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन [illegible] प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।

[illegible] द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया [illegible] तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4100/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक [illegible] 2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में [illegible] समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

[illegible] याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में [illegible] शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

[illegible] संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना [illegible] विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि [illegible]/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।

[illegible] संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी [illegible] को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता [illegible] किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

[illegible] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि [illegible] की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

[illegible] संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।

[illegible] शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

[illegible] विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क [illegible] करेगी।

[illegible] परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।

[illegible] स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन [illegible] करेगी।

[illegible] की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा [illegible] उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक [illegible] कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की [illegible]

भवदीय,

कुलसचिव

[illegible]/सम्बद्धता/2017/[illegible] तद्दिनांक

[illegible] प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

[illegible] उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

[illegible] शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

[illegible] अधिष्ठाता/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।

[illegible] कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।

[illegible] कुलपति जी के सूचनार्थ।

([illegible])।

कुलसचिव

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामदत्तपुर, गोरखपुर

प्राचार्या
महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रामदत्तपुर, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2018/(67) 3930

दिनांक 27/01/2018

सेवा में

प्रबन्धक/प्राचार्य
महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदतपुर, गोरखपुर।

विषय महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदतपुर, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, एवं गृहविज्ञान विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अनिधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के पत्र संख्या **संबद्धता/2017(55)/1137 दि0 30.05.2017** द्वारा महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदतपुर, गोरखपुर को **स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, एवं गृहविज्ञान विषयों में** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन दिनांक **01 जुलाई, 2017 से आगामी दो वर्ष हेतु** सम्बद्धता प्रदान की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधित अधिनियम, 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत दी गयी सम्बद्धता तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 26.08.2017 को प्रस्तुत पत्र के दृष्टिगत कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदतपुर, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र, एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार दिनांक 01 जुलाई, 2017 से **आगामी दो वर्ष हेतु कक्षा संचालन** की अनुमति प्रदान की जाती है–

1. विश्वविद्यालय के पत्र संख्या **संबद्धता/2017(55)/1137 दि0 30.05.2017** में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह कक्षा संचालन है, जिसमें इंगित कमियां *(यथा– समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषय में एक–एक प्रवक्ताओं का चयन अनुमोदन एक माह में करा लेने की शर्त पर)* **की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।**
2. **संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार** सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. **महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।**
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. **संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।**
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. **महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।**
13. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2015–16 एवं 2016–17 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

24/1/18

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता, कला संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा सामान्य), दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. उपकुलसचिव (कमेटी) को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय/गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव

प्राचार्य
महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रमदतपुर, गोरखपुर

Class permission temprary 2017-18 - sk